

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यटन परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

क्रमांक /टीसी/20/उपा/नगानि/2018 भोपाल, दिनांक:- / /2018
प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला नीमच (म.प्र.)।
2. उप संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, नीमच (म.प्र.)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
जिला नीमच (म.प्र.)।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् नीमच (म.प्र.)।
जिला नीमच (म.प्र.)।

विषय:- नीमच विकास योजना 2031 में उपान्तरण बाबत ।
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा नीमच विकास योजना 2031 में
उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक
समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के
सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल

पृ.क्रमांक 1218 /टीसी/20/उपा/नगानि/2018 भोपाल,

प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 1-3 /2018

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया
सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.)
भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल

AP-10
3/2/18

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in दरभाष-0755-2427091

सूचना

01/3/18
भोपाल, दिनांक 03/1/2018

क्रमांक 1215 /उपां/टीसी/20/नीमच/2018 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट नीमच विकास योजना 2031 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खेत क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	कस्बा नीमच	6, 6ए, 6बी, 29, 40, 44, 24 एवं 30	15.80	प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु)
		योग:-	15.80 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच तथा वेबसाइट www.mptownplan.gov.in पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, नीमच को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल

Directorate, Town and Country Planning,

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal Madhya Pradesh
Email-mptownplan@mp.gov.in, Phone No-0755 2427091

Notice

Bhopal, Dated. 01/03/2018

No. 1215 20/CL/TC/Neemuch/2018 - In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973). The Director hereby proposes the following modifications for public information in the Neemuch Development Plan, 2031 as specified in the schedule hereunder, namely:-

SCHEDULE

No	Village	Khet No.	Area (In Ha.)	Land use specified in the development plan	Proposed Land use after modifications
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Kasaba Neemuch	6, 6A, 6B, 29, 40, 44, 24, and 30	15.80	Proposed Public and Semi Public	Residential (For Pradhanmantri awas yojana)
		Total:-	15.80 Ha		

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, District Neemuch as well as on the web site. www.mptownplan.gov.in for period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions with respect to the said modifications may be submitted by any person to the Director, Town and Country Planning Madhya Pradesh Bhopal or Deputy Director Town and Country Planning, District office Neemuch, in writing within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers and such objections and suggestions which may be received before the expiry of the period specified above will be considered by the Director.

(Swati Meena Naik)

Director

Town and Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal